



769
22/8/15

26/8/15

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चास (बोकारो) आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक सा. से तक
जिला - बोकारो मु० सं० 1147 VII. सन् 20.15-16.....
केश का प्रकार - नामांतरण (दाखिल स्वारिज)

आदेश की क्रम सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

26/5/15

आवेदक श्री/श्रीमती श्री/श्रीमती
पिता/पति श्री
ग्राम थाना जिला
निम्नलिखित जमीन का नामांतरण हेतु आवेदन दिये हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है।

सौजा व थाना नं०	खाना	प्लॉट	हक्का	लगाव
मंगलपुर 39	44	388 389	110 वर्गमीटर	0-05

Handwritten signature and initials

आवेदन के आलोक में आम इस्तहार निर्गत करें तथा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाच प्रतिवेदन प्राप्त करें।

Signature
अंचल अधिकारी
चास

शैल सिंह

आवेदन के आलोक में आम इस्तहार निर्गत किय गया। मूल आवेदन पत्र निबंधित पट्टा/विक्रय पत्र की छाया प्रति के साथ हल्का कर्मचारी को जाच हेतु दिया गया। हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि वे अपना विस्तृत जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से दिनांक 10/6/15 तक कार्यालय

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम ईस्तहार का तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है। हल्का कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा खानापूर थाना नं० 39 खाता नं० 44 प्लॉट 388, 389 रकबा ... 1100 वर्ग मी. गत सर्वे खतियान में रैयती/आबाद मालिक/गैरआबाद मालिक दर्ज है। विक्रेता खतियानी रैयत के वंशज/उत्ताधिकारी है, विक्रेता को प्रश्नगत भूमि निबंधित दस्तावेज संख्या के द्वारा क्रय के आधार पर प्राप्त है।

आवेदित भूमि की जमाबंदी पंजी ॥ के जमाबंदी संख्या में विक्रेता पितायू के नाम से चल रही है। क्रेता ने प्रश्नगत भूमि केवाला नं० दिनांक द्वारा क्रय किया है। विक्रेता ने अपने हक वो हिस्सा की भूमि बिक्री की है।

हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का खरीदगी पश्चात् दखल कब्ज है। उक्त नामांतरण से संबंधित आवेदित भूमि वन सीमा/सैरात/भूदान/भहूदबन्दी/गैरआबाद/आदिवासी/बी०एस०एल० अधिग्रहण से बाहर है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक ने क्रेता के नाम से नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि:-

मौजा व थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	लगान	प्र० लगान	अलावे सेस
<u>खानापूर</u> 39	44	388 389	1100 <u>वर्ग मी</u>	0-05	400	

आवेदक श्री/श्रीमती के नाम से पिता/पति के नाम से नामांतरण की दी जाती है। तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें। हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र के आलोक में पंजी ॥ में आवश्यक इन्द्राज कर शुद्धि पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

शैल सिंह

26/08/15

26/08/15
मिलान किया

26/08/15
अंचल अधिकारी
चास

26/08/15

26/08/15
आम इस्तहार
1878 की धारा 3
30 नवीम अक्टोबर